

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या-4डी(2)/20/805

लखनऊ : दिनांक 02.07.20

// कार्यालय ज्ञाप //

मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20558 आफ 2009 उ0प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम संतोष कुमार मिश्रा व अन्य में पारित आदेश दिनांक 03.08.2010 एवं अवमाननावाद संख्या-347/2010 हरित कुमार द्विवेदी व अन्य बनाम प्रदीप कुमार शुक्ला व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.11.2012, 15.04.2013, 29.04.2013 तथा अवमाननावाद संख्या-115/2015 इन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-20558/2009 (विनय कुमार गिरि बनाम प्रवीण कुमार व अन्य) में पारित आदेश दिनांक 23.09.2014 तथा रिट याचिका संख्या-1855/एस0एस0/2017 भूपेन्द्र सिंह व 06 अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2020 के अनुपालन में विज्ञापन दिनांक 12.11.2007 के सापेक्ष वर्ष 2002 बैच के फार्मसी डिप्लोमाधारक अभ्यर्थियों की मेरिटवार सूची के अनुसार 536 अभ्यर्थियों की हुयी काउन्सिलिंग दिनांक 10.06.20 से 20.06.20 के उपरान्त 472 अभ्यर्थियों की चयन सूची महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30.06.20 के माध्यम से निर्गत की गयी थी।

शासनादेश संख्या-476/पांच-7-2019 दिनांक 03 जून, 2019 के अनुपालन में उक्त चयनित 472 अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट www.dgmhup.gov.in के माध्यम से दिनांक 07 जुलाई से 14 जुलाई, 20 के मध्य वरीयता क्रम में 07 जनपदों का आनलाइन विकल्प भरेगें। विभाग द्वारा यथासम्भव उपलब्ध रिक्तियों एवं मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को जनपद आवंटन उनके द्वारा दिये गये विकल्प को ध्यान में रखते हुए की जायेगी। **वर्तमान में प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत विभाग के पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति किसी भी जनपद/इकाई में करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत योगदान सूचना का विषय एपेडिमिक-एक्ट से भी आच्छादित है।**

ऑनलाइन विकल्प अंकित करने में किसी भी प्रकार की तकनीकी सहयोग के लिए विभागीय ई मेल-pharma.paramedical@gmail.com अथवा मोबाइल नम्बर 8881861042 पर उक्त तिथियों के मध्य कार्यदिवस में 11 बजे से 05 बजे तक सम्पर्क किया जा सकता है।

काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थियों के द्वारा उपस्थिति पंजिका में अंकित किये गये मोबाइल नम्बर से लॉग-इन किया जायेगा।

(मधु सक्सेना)

निदेशक, पैरामेडिकल

तददिनांक

संख्या-4डी(2)/20/805(8)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ।
- 2- श्री रमेश कुमार सिंह, अपर महा अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ
- 3- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0शासन, चिकित्सा अनुभाग-7, लखनऊ।
- 4- निदेशक, प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- विशेष सचिव, चिकित्सा अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 6- स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- निदेशक, नियोजन एवं बजट, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया विभागीय वेबसाइट पर आन-लाइन-जनपद-आवंटन की कार्यवाही करने हेतु डी0आर0सी0 सेल के श्री मनीष मिश्रा, सिस्टम मैनेजर, श्री नितिन मौर्या, प्रोग्रामर, श्री सुनील कुमार वर्मा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, श्री कपिल त्रिपाठी, नेटवर्क एडी0 को निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि उक्त कार्य को पूर्ण करने में किसी भी प्रकार तकनीकी त्रुटि न हो। (सम्बन्धित सूचना ई-मेल के माध्यम से प्रेषित)
- 8- नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

(मधु सक्सेना)

निदेशक, पैरामेडिकल